कार्यालयः वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

Office of Conservator of Forests, Territorial Circle, Medininagar.

ईमेल / **Email: cf-medininagar@gov.in**

दूरभाष /**Phone: 06562-224953 Mobile No-8987790232**

पत्रांक– 86

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
लातेहार वन प्रमण्डल
लातेहार।

मेदिनीनगर, दिनांक – 06/02/2023

विषयः– हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लि0 द्वारा चकला कोल ब्लॉक के लिए प्रस्तावित रेल मार्ग एवं सड़क के अन्तर्गत पडने वाले वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः – आपका पत्रांक 118 दिनांक 18.01.2023।

महाशय,

उपयुर्क्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्ताव को झारखण्ड सरकार, वन , पर्यावारण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग का अदेश संख्या– वन भूमि (विविध)–05 / 2022–3735 व.प., राँची, दिनांक 15.12.2022 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत अपेक्षित विषयक अनापति प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।

अतः आप उक्त इंगित त्रुटि का निराकरण कर प्रस्ताव अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित करें।

अनु0यथोक्त।

विश्वासभाजन,

6.2.23

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

आदेश

संख्या–वन भूमि (विविध)–05/2022– 3735 **व०प०, राँची, दिनांक–** 15/12/2022

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0–FC/11/118/2021-FC दिनांक–29.06.2022 द्वारा वन (संरक्षण) नियम, 2022 के नियम–8 के आलोक में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन वनभूमि अपयोजन हेतु प्राप्त प्रस्तावों की पूर्णतः की जाँच हेतु एक "परियोजना जाँच समिति (Project Screening Committee)" का गठन निम्नवत् किया जाता है:–

(i)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची {वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् राज्य के नोडल पदाधिकारी}	–	अध्यक्ष
(ii)	संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक	–	सदस्य
(iii)	संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी	–	सदस्य
(iv)	संबंधित उपायुक्त अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि (उप समाहर्त्ता से अन्यून स्तर के)	–	सदस्य
(v)	नोडल पदाधिकारी के कार्यालय में पदस्थापित उप निदेशक (वन प्रमंडल पदाधिकारी स्तर के पदाधिकारी)	–	सदस्य–सचिव

2. "परियोजना जाँच समिति (Project Screening Committee)" की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम दो बार होगी और परियोजना जाँच समिति की बैठक की गणपूर्ति तीन होगी।

3. यह समिति वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् समर्पित प्रस्तावों पर वन (संरक्षण) नियमावली, 2022 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप जाँच के पश्चात् अनुशंसा समर्पित करेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

15/12/22

(राजदीप संजय लाल जॉन)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–वन भूमि (विविध)–05/2022– 3735 **व०प०, राँची, दिनांक–** 15/12/2022

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली–110003/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय, हरमू चौक, राँची–834002 को सूचनार्थ प्रेषित।

15/12/22

सरकार के अपर सचिव

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक–वन भूमि (विविध)–05/2022– 3735 व०प०, राँची, दिनांक– 15/12/2022

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड/सभी मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

2. उक्त नियमावली में संशोधन के निमित्त माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड का पत्र दिनांक–01.12.2022 संलग्न है।

निदेशानुसार अनुरोध है कि पूर्व की भाँति स्टेज–I एवं II Clearance के पूर्व FRA का अनुपालन एवं ग्रामसभा की सहमति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाय।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–वन भूमि (विविध)–05/2022– 3735 व०प०, राँची, दिनांक– 15/12/2022

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची/विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई–गजट को झारखण्ड राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

HEMANT SOREN
CHIEF MINISTER

D.O. Letter No. 4000094/C.M.O.

Dated 01/12/2022

Respected Prime Minister,

As the Chief Minister of a state where thirty-two indigenous communities exist harmoniously at one with nature practicing a way of life where trees are worshipped and protected, I feel it is my duty to bring to your knowledge the violation of the Forest Rights Act,2006 in the change affected by the Forest Conservation Rules 2022.

These rules have eliminated the earlier mandatory requirements of obtaining the prior consent of the Gram Sabha before utilizing forest land for non-forestry purposes. To cut down trees without even an acquiescence from the people who look upon these trees as their ancestors is a painful attack on their sense of ownership.

It is important that I draw your notice to the enactment of the FRA, which was brought about to vest the forest-dwelling scheduled tribes and other traditional forest dwellers with forest rights. An estimated 200 million people across India depend on forests for their primary livelihood, and around 100 million people live on land classified as forests. These new rules will end up uprooting the rights of these people who have called the forests their home for generations but whose rights could not be recorded. Their traditional lands may get snatched away in the name of development, and these simple, pure-hearted people of our country will have no say in destroying their habitat.

The Ministry of Environment, Forest, and Climate Change (MoEF) in 2009 clearly stated that no clearances for diversion of forest land under the Forest Conservation Act, 1980 would even be considered by it prior to Stage-1 (in-principle) approval unless rights provided under FRA were first settled. In 2019, this provision was diluted to the extent that consent of Gram Sabha would be required prior to stage 2 clearance.

However, in the new notifications of 2022, this condition for the consent of the Gram Sabha has been shockingly completely obliterated. A situation has now been created where once, forest clearance is granted, everything else becomes a mere formality. Almost inevitably, the State Governments will be under even greater pressure from the Centre to accelerate the diversion of forest land.

I implore that you step in and ensure that this fait accompli that has been created is done away with and the voice of the tribal man, woman, and child is not silenced under the guise of progress. Our laws must be inclusive. Therefore, I request you to bring about changes in the Forest Conservation Rules 2022 that will establish systems and procedures that protect the rights of the tribal and forest communities in the country.

Warm regards,

Yours Sincerely,

(Hemant Soren)

To,

Shri Narendra Modi,
Hon'ble Prime Minister of India,
South Block, Raisina Hill,
New Delhi-110011